न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– नरेन्द्र के.वर्मा(आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 93/2021 (जीसीएमएस नं0 2021/100)

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0 .....आवेदक

बनाम

श्रीराम मित्तल पुत्र श्री दाताराम मित्तल उम्र 55 वर्ष जाति वैश्य, मैसर्स मिततल इण्डस्ट्रीज , जी–30, रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया जिला धौलपुर निवासी गिर्राज कोलोनी, जीटी रोड धौलपुर .....अभियुक्त

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/ 51
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

आवेदक की ओर से :– श्री विश्वबन्धु गुप्ता ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :– स्वंय

निर्णय दिनांक– 22.07.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 03.11.2020 को समय सुबह 1.30 पीएम बजे दौराने गश्त अप्रार्थी की संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की निर्माण ईकाई(गोदाम) में एक टैंक में लगभग 05 टन रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल आमजन को बिकी वास्ते रखा हुआ था उक्त रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल में मिलावट का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5(ए) देकर सूचित करते हुये गोदाम में रखे हुये रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल के 1600 ग्राम रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल वास्ते नमूना जॉच खरीदा। उक्त खरीदशुदा रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल की कीमत विक्रेता को 160/–रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो पत्रावली मे सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय किये गये उक्त रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल कांच की बोतलें में डालकर नमूना भाग तैयार किये गये एवं एयर टाईट बन्द किया विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर डीओ. के कोड एवं कमांक डी– 1914 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वय के हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज मे

लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप न0 डी–1914 नियमानुसार चारो नमूना बोतलो पर नीचे से उपर की ओर गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारो ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह उपर, नीचे, दांये, बांये सील सपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर रिलप पर व आधे खाकी कागज पर आवे, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर मैने भी हस्ताक्षर किये एव चारो नमूना भागो को अपने कब्जे मे लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियॉ एव फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एव गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की छ प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लागई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या–6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर नमूना डी–1914 वास्ते जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/856/एक्ट/2020/928 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया। इस प्रकरण से संबधित समस्त कागजात आवेदक ने अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को प्रस्तुत किये। जिन्होने न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने बावत स्वीकृति प्रदान की। साथ ही न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयक अधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टैंडर्ड रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व प्रसंज्ञान लिया गया तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एव कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी वहस में परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल को हिला मिलाकर तथा एकरूप कर नमूना जॉच हेतु खरीदा गया था जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये है। फार्म 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर सही मानकर हस्ताक्षर किये है। नमूना एवं शील करने का तरीका विधिक प्रावधानों के अधीन किया गया है। स्वंय विक्रेता द्वारा रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल आम जनता को विक्रय हेतु बताया है। नमूना संख्या डी 1914 वास्ते जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया

रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल नमूना सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अप्रार्थी को दिनांक 24.12.2020 को भेजी गई जिसमे निर्देशित किया गया कि नमूना निर्दिष्ट प्रयोगशाला में पुनः जॉच करवाना चाहते है तो एफ एस एस एक्ट की धारा 46(4) के अन्तर्गत पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपना आवेदन प्रस्तुत करें लेकिन उनके द्वारा समय अवधि में ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा सबस्टैंडर्ड रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है जिसके लिये अभियुक्त दोषी है। अतः अभियुक्त पर अधिक से अधिक जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

हमने उभयपक्षों की वहस मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.11.2020 को समय सुबह 1.30 पीएम बजे दौराने गश्त अप्रार्थी की संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की निर्माण ईकाई(गोदाम) में एक टैंक में लगभग 05 टन रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था उक्त रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल में मिलावट का शक होने पर गवाहन की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5(ए) देकर सूचित करते हुये गोदाम में रखे हुये रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल में से 1600 ग्राम रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल वास्ते नमूना जॉच खरीदा। उक्त खरीदशुदा रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल की कीमत विक्रेता को 160/–रू0 नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना डी–1914 वास्ते जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/ 856/एक्ट/2020/928 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल सबस्टेण्डर्ड प्रकृति को होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार नमूना पुनः जांच हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अंतिम है जो पत्रावली में संलग्न है।

अतः इस प्रकार इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया है तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त 05 टन रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

एफ.एस.एस.एक्ट
प्रकरण सं0 93/2021

अतः प्रार्थी का न्यायनिर्णयन आवेदन स्वीकार किया जाकर अभियुक्त/अप्रार्थी श्रीराम मित्तल पुत्र श्री दाताराम मित्तल उम्र 55 वर्ष जाति वैश्य, मैसर्स मित्तल इण्डस्ट्रीज, जी-30, रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया जिला धौलपुर निवासी मिर्जा कोलोनी, जीटी रोड धौलपुर द्वारा 05 टन सबस्टैण्डर्ड रिफाईण्ड पॉमोलीन ऑयल जिसका विक्रय किया जाना था जो अनुचित लाभ कमाने हेतु था और जिससे व्यापक स्तर पर उपभोगकर्ताओं/क्रेताओं/व्यक्तियों को हानि (आर्थिक एवं स्वास्थ्य) होने की प्रबल संभावना मौजूद थी अथवा हानि होना निश्चित था, को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 50,000/-रू0 (पचास हजार रूपये मात्र) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)